निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

3 श्रावण 1941 (श0)
(सं0 पटना 869) पटना, वृहस्पतिवार, 25 जुलाई 2019

विधि विभाग

अधिसूचना
25 जुलाई 2019

एस0ओ0 347, दिनांक 25 जुलाई 2019—The Commercial Courts, Commercial Appellate Courts, Commercial Divisions and Commercial Appellate Divisions of High Courts Act, 2015 (No. 4 of 2016) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार सरकार, पटना उच्च न्यायालय के परामर्श से इस विषय पर पूर्व निर्गत विधि विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना ज्ञापांक-1150/जे0 दिनांक 03.03.2017 को अवक्रमित करते हुए:-

(क) प्रत्येक जिले के सिविल जज (वरीय कोटि) के न्यायालय को, तीन लाख रुपये से एक करोड़ रुपये तक मूल्य के वाणिज्यिक वाद या विवाद के संबंध में मूल अधिकारिता का प्रयोग करने हेतु, वाणिज्यिक न्यायालय के रूप में गठित करती है;

(ख) बिहार राज्य के सभी जिले के जिला न्यायाधीश के न्यायालय को, उस जिले के सम्पूर्ण प्रादेशिक क्षेत्र के अंतर्गत एक करोड़ रुपये से अघिक मूल्य के वाणिज्यिक वाद या विवाद के संबंध में मूल अधिकारिता का प्रयोग करने हेतु, वाणिज्यिक न्यायालय के रूप में गठित करती है; तथा

(ग) प्रत्येक जिले में जिला न्यायाधीश के न्यायालय को, अपीलीय अधिकारिता का प्रयोग करने तथा जिला न्यायाधीश के नीचे स्तर के वाणिज्यिक न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों एवं आदेशों द्वारा उद्भूत अपीलों के निस्तारण करने हेतु, वाणिज्यिक अपीलीय न्यायालय के रूप में अभिहित करती है;

यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

(सं0सं0–ए0/एक्ट0–10/2016/5080)
बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
मदन किशोर कौशिक,
सरकार के सचिव ।

25 जुलाई 2019

एस0ओ0 347, दिनांक 25 जुलाई 2019 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद–348 के खण्ड(3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0सं0–ए0/एक्ट0–10/2016/5080)
बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
मदन किशोर कौशिक,
सरकार के सचिव ।

The 25th July 2019

S. O 347, dated 25th July 2019—In exercise of the powers conferred by section 3 of The Commercial Courts, Commercial Appellate Courts, Commercial Divisions and Commercial Appellate Divisions of High Courts Act, 2015 (No. 4 of 2016), the State Government of Bihar, in consultation with the High Court of Judicature at Patna superseding the previously issued notification memo no.-1150/J dated-03.03.17 of Law Department, Bihar, Patna on the subject, is hereby pleased to:-

(a) Constitute the Courts of Civil Judge (Senior Division) of each district as Commercial Court to exercise original jurisdiction in respect of commercial disputes where the value of suit or dispute is not less than Rs. 3 Lacs and up to Rs.1 Crore;

(b) Constitute the Court of District Judge in all the districts of the State of Bihar as Commercial Courts to exercise original Jurisdiction in respect of Commercial disputes where the value of suit or dispute exceeds Rs.1 Crore in respect of the entire territorial area of the district; and

(c) Designate the Court of District Judge in each district as Commercial Appellate Court to exercise appellate jurisdiction and dispose of the appeals arising out of the judgments and orders passed by a Commercial Court below the level of the District Judge.

This notification shall come into force with effect from the date of its publication in the official Gazette.

(**File No.-A/act -10/2016/5080/J.**)
By Order of the Governor of Bihar,
MADAN KISHORE KAUSHIK,
Secretary to Government of Bihar.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 869-571+100-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in